

In the Court of Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)

Aman Chauhan s/o Sh. Sunil, r/o Village Kupri, P.O. Pharal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) . *Applicant.*

Versus

General Public . *Respondent.*

Notice/Proclamation Regarding Correction of Name Aadhar Card of Aman Chauhan.

Whereas, the above name applicant has submitted an application for the correction of name from Manik to Aman Chauhan in the records of Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of applicant Aman Chauhan s/o Sh. Sunil in place of Manik they should appear before the undersigned on or before 18-03-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

Issued today on 18th day of February, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

(MUKESH SHARMA, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)

Sh. Layak Ram s/o Sh. Surat Ram, r/o Village Larki, Post Office Kotighat, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

Application under section 13(3) of the Registration of Births in the record of Gram Panchayat Kangal and Condon of delay, Tehsil Kumarsain, District Shimla.

Whereas, Sh. Layak Ram s/o Sh. Surat Ram, r/o Village Larki, Post Office Kotighat, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 to enter the birth of his daughters in record of the Registrar, Births & Deaths-cum-Secretary, Gram Panchayat Kangal, Tehsil Kumarsain as under :—

Name of Person	Relation with applicant	Date of Birth
Navya d/o Sh. Layak Ram, r/o Village	Daughter	13-10-2018

Larki, P.O. Kotighat, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, H.P.		
Hemlata d/o Sh. Layak Ram, r/o Village Larki, P.O. Kotighat, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, H.P.	Daughter	27-10-2021

Hence, this proclamation is hereby issued to the general public and if they have any objection/claim with regard to entry of birth of Navya & Hemlata d/o Sh. Layak Ram in record of the Registrar, Births & Deaths-cum-Secretary, Gram Panchayat Kangal, Tehsil Kumarsain, District Shimla, then they may file their written objections/claims in this court on or before one month of publication of this proclamation in Government Gazette, failing which the necessary orders will be passed for entry of birth.

Issued today on 18th day of February, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

(MUKESH SHARMA, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

In the Court of Assistant Collector 1st Grade, Shimla Rural, District Shimla (H.P.)

Case No.	Date of Institution	Date of appearance
88/2024	07-09-2024	28-03-2026

1. Sh. Bhaag Chand s/o Huma Nand, r/o Village Bharech, P.O. Himri, Tehsil Kotkhi, District Shimla, H.P.

2. Sh. Hem Chand s/o Huma Nand, r/o Village Bharech, P.O. Himri, Tehsil Kotkhai, District Shimla, H.P.

Versus

1. Sh. Ravinder s/o Kripa Ram, r/o Village/Mohal Chaili Chola, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P., 2. Smt. Kaushlya d/o Surat Ram, r/o Village/Mohal Chaili Chola, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P., 3. Sh. Bal Raj s/o Kanshi Ram, r/o Village/Mohal Chaili Chola, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P., 4. Sh. Narender Singh s/o Sohan Singh, r/o Village/Mohal Chaili Chola, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P., 5. Sh. Bhupender Singh *alais* Kaku s/o Het Ram, r/o Village/Mohal Chaili Chola, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P.

Publication Order

Whereas, an application has been filed by Sh. Bhaag Chand s/o Huma Nand, r/o Village Bharech, P.O. Himri, Tehsil Kotkhi, District Shimla, H.P. & others u/s 123 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for partition of land comprised Khata/Khatoni No. 70/100-103, Kita 8, Area Measuring

01-05-77 hectare situated at mouza/mohal Chaily Cholla, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P.

And whereas, notice have already been issued to the respondents/second parties mentioned in the application. But some of them could not be served personally due to various reasons such as address not found or being untraceable.

Now, therefore, through this publication all respondents/second parties their legal heirs, representatives or any other person having interest in the above mentioned property are hereby informed to appear before this court on the next date of hearing *i.e.* 28-03-2026 (DLSA building Top Floor, Court Complex Chakkar) at 2.00 P.M. either personally or through authorized counsel and file their objections is any to the said application.

In case of failure to appear on the said date the matter shall be decided *ex-parte* in accordance with law and they shall be bound by such order. The publication shall be deemed to be a valid service upon all the respondents/second parties concerned.

Issued under my hand and seal this day of 18th February, 2026.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 1st Grade,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Dayanand Sharma, Assistant Collector 2nd Grade, Tehsil Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Gian Chand s/o Sh. Karmu, r/o VPO Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.)
.. *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Subject.—Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Gian Chand s/o Sh. Karmu, r/o VPO Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter date of birth of his daughter Ms. Priyanka (01-01-1998) in the record of Birth Register, of Gram Panchayat Karasa.

Now, therefore, objection are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of (Ms. Priyanka 01-01-1998) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 16th February, 2026.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Dayanand Sharma, Assistant Collector 2nd Grade, Tehsil Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Gian Chand s/o Sh. Karmu, r/o VPO Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.)
. . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Gian Chand s/o Sh. Karmu, r/o VPO Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of his daughter Ms. Pooja (03-01-1996) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Karasa.

Now, therefore, objection are invited from the general public, that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of (Ms. Pooja 03-01-1996) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 16th February, 2026.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

मुकद्दमा संख्या :
10 / 2025

किस्म मुकद्दमा :
दुरुस्ती इन्द्राज

तारीख दुरुस्ती :
20-01-2025

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री प्रेम लाल पुत्र देवी राम, निवासी गांव जगुनी, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री प्रेम लाल पुत्र देवी राम, निवासी गांव जगुनी, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस दुरुस्ती दरखास्त जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत मौजा जगुनी के राजस्व कागजात में अपना नाम प्रेम सिंह पुत्र देवी राम, जोकि गलत दर्ज हुआ है, के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों में प्रेम लाल पुत्र देवी दुरुस्त करने बारे आवेदन इस कार्यालय मे प्रस्तुत किया है।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय ईकाइयों से पाया कि मौजा जगुनी के राजस्व अभिलेख में प्रेम सिंह पुत्र देवी राम दर्ज है। बाद छानबीन व मुताबिक बांशिदगान देह के ब्याना द्वारा पाया गया है कि आवेदक का असल में नाम प्रेम लाल पुत्र देवी राम है जिसकी पुष्टि मिसल में संलग्न दस्तावेज नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड एवं दसवी अकं तालिका में प्रेम लाल पुत्र देवी राम दर्ज है। वादी का नाम मुताबिक दस्तावेजों के राजस्व कागजात मौजा जगुनी में प्रेम सिंह पुत्र देवी राम के स्थान पर प्रेम लाल पुत्र देवी राम दुरुस्त किया जाना वाजिव है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी प्रेम लाल पुत्र देवी राम, निवासी गांव जगुनी, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम मौजा जगुनी के राजस्व कागजात माल में प्रेम सिंह पुत्र देवी राम के स्थान पर सही नाम प्रेम लाल पुत्र देवी राम दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी तिथि 10-03-2026 को अदालत हजा में असागतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 09-10-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या :
81/2025

किस्म मुकद्दमा :
दुरुस्ती इन्द्राज

तारीख दायर :
06-08-2025

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री गोविन्द सिंह पुत्र बगडू, निवासी दारन, डा0 दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री गोविन्द सिंह पुत्र बगडू, निवासी दारन, डा0 दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने आवेदन दुरुस्ती दरखास्त जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत वादी ने राजस्व कागजात मोहाल मशनू में अपना नाम गुड्डू पुत्र बगडू, उच्ची एवं दारन में गोविन्द पुत्र बगडू जोकि गलत दर्ज हुआ है के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों में गोविन्द सिंह पुत्र बगडू दुरुस्त करने बारे आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय ईकाइयों के पाया कि वादी गोविन्द सिंह पुत्र बगडू का नाम राजस्व कागजात माल चक मशनू के खाना मलकियत में गुड्डू पुत्र बगडू, चक उच्ची एवं दारन में गोविन्द पुत्र बगडू दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है। मुताबिक ब्यानात बाशिन्दगान देह नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र एवं पहचान पत्र में वादी का नाम गोविन्द सिंह पुत्र बगडू है। वादी का नाम राजस्व कागजात मोहाल मशनू में गुड्डू पुत्र बगडू के स्थान पर गोविन्द सिंह पुत्र बगडू, मोहाल उच्ची एवं दारन में गोविन्द सिंह पुत्र बगडू दुरुस्त किया जाना उचित है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी श्री गोविन्द सिंह पुत्र बगडू, निवासी दारन, डा0 दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम राजस्व कागजात माल मोहाल मशनू में गुड्डू पुत्र बगडू के स्थान पर गोविन्द सिंह पुत्र बगडू, मोहाल उच्ची एवं दारन में गोविन्द पुत्र बगडू के स्थान पर गोविन्द सिंह पुत्र बगडू दुरुस्त करने बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी तिथि 10-03-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 09-10-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या :
55 / 2025

किस्म मुकद्दमा :
दुरुस्ती इन्द्राज

तारीख दायर :
22-05-2025

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री शावणू राम पुत्र सिंघी राम, निवासी गांव बाजवा, डा0 मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

विषय.—राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री शावणू राम पुत्र सिंघी राम, निवासी गांव बाजवा, डा0 मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने आवेदन दुरुस्ती दरखास्त जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत मोहाल बाजवा के राजस्व कागजात में अपना नाम सोवणू पुत्र अनवर उपनाम सिंघी पुत्र चेई, जोकि गलत दर्ज हुआ है के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों में शावणू राम पुत्र सिंघी दुरुस्त करने बारे आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय ईकाइयों में पाया कि मोहाल बाजवा के राजस्व कागजात में सोवणू पुत्र अनवर उपनाम सिंघी पुत्र चेई दर्ज है। बाद छानबीन व मुताबिक क्यानात बाशिन्दगान देह आधार कार्ड, परिवार नकल व शपथ पत्र सायल के प्रार्थी का सही नाम शावणू राम पुत्र अनवर उपनाम सिंघी है व मोहाल बाजवा में मोहाल कागजात में सोवणू पुत्र अनवर उपनाम सिंघी पुत्र चेई के स्थान पर शावणू राम पुत्र अनवर सिंघी पुत्र चेई किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी श्री शावणू राम पुत्र सिंघी राम, निवासी गांव बाजवा, डा0 मशनू, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम मोहाल बाजवा के राजस्व कागजात माल में सोवणू पुत्र अनवर उपनाम सिंघी पुत्र चेई के स्थान पर शावणू राम पुत्र अनवर उपनाम सिंघी पुत्र चेई दुरुस्त करने बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी तिथि 10-03-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 09-10-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या :
85 / 2025

किस्म मुकद्दमा :
दुरुस्ती इन्द्राज

तारीख दायर :
15-09-2025

मुकद्दमा शीर्ष :

श्रीमती बेलमा देवी पुत्री फिन्दु राम, निवासी गांव भदराश, डाकघर दतनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

विषय.—राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्रीमती बेलमा देवी पुत्री फिन्दु राम, निवासी गांव भदराश, डाकघर दत्तनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने आवेदन दुरुस्ती दरखास्त जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत मोहाल भदराश के राजस्व कागजात में अपना नाम कुमारी बलमा देवी पुत्री फिन्दु जोकि गलत दर्ज हुआ है, के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों में बेलमा देवी पुत्री फिन्दु राम दुरुस्त करने बारे आवेदन इस कार्यालय मे प्रस्तुत किया है।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय ईकाइयों में पाया कि मोहाल भदराश के जमाबन्दी इजा दौर 2019-2020, खाता खतौनी संख्या 135/259 ता 266 व 136/267 जमाबन्दी हजा खाना मालिक इन्द्राज कुमारी बलमा देवी पुत्री फिन्दु राम पुत्र गुरदास बतौर हिस्सेदारा मालिक दर्ज है। मिसल में संलग्न दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर एवं राशन कार्ड व मौका छानबीन कर ब्यानात स्थानीय बाशिन्दगान देह हल्का नम्बरदार पटवार वृत्त दत्तनगर व आवेदकन ने पाया कि आवेदिका का सही नाम बेलमा देवी पुत्री फिन्दु राम है जोकि राजस्व कागजात में प्रार्थिया का नाम बलमा देवी गलत दर्ज है के स्थान पर बेलमा देवी पुत्री फिन्दु राम दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादिया श्रीमती बेलमा देवी पुत्री फिन्दु राम, निवासी गांव भदराश, डाकघर दत्तनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम मोहाल भदराश के राजस्व कागजात माल में कुमारी बलमा देवी पुत्री फिन्दु राम के स्थान पर सही नाम मुताबिक दस्तावेजों में बेलमा देवी पुत्री फिन्दु राम दुरुस्त करने बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी तिथि 24-03-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 17-02-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला (हि0प्र0)**

मुकद्दमा संख्या :
99/2025

किस्म मुकद्दमा :
दुरुस्ती इन्द्राज

तारीख दायर :
29-12-2025

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री चरण लाल पुत्र टट्टू, निवासी गांव निरसू, डाकघर दत्तनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री चरण लाल पुत्र टटू, निवासी गांव निरसू, डाकघर दत्तनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने दुरुस्ती दरखास्त जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत मोहाल भदराश के राजस्व कागजात में अपना नाम चरी पुत्र टटु जोकि गलत दर्ज हुआ है के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों में चरण दास पुत्र टटु दुरुस्त करने बारे आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय ईकाइयों में पाया कि मोहाल भदराश के जमाबन्दी इजा दौर 2019-2020, खाता खतौनी संख्या 135/259 ता 266 व 136/267 जमाबंदी हजा खाना मालिक इन्द्राज कुमारी बलमा देवी पुत्री फिन्दु राम पुत्र गुरदास बतौर हिस्सेदारा मालिक दर्ज है। मिसल में संलग्न दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर एवं राशन कार्ड व मौका छानबीन कर ब्यानात स्थानीय बाशिन्दगान, हल्का नम्बरदार पटवार वृत्त दत्तनगर व आवेदक ने पाया कि आवेदक का सही नाम बेलमा देवी पुत्री फिन्दु राम है जोकि राजस्व कागजात में प्रार्थिया का नाम कुमारी बलमा देवी गलत दर्ज है के स्थान पर बलमा देवी पुत्री फिन्दु राम दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी श्री चरण लाल पुत्र टटू, निवासी गांव निरसू, डाकघर दत्तनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम मोहाल भदराश के राजस्व कागजात माल में चरी पुत्र टटु के स्थान पर सही नाम मुताबिक दस्तावेजों में चरण लाल पुत्र टटू दुरुस्त करने बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी तिथि 24-03-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 17-02-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, (हि0प्र0)

वाद संख्या: 05/26

तारीख दायर : 18-02-2026

लियाकत अली पुत्र अली हुसैन, निवासी गांव नैहरी, डा0 देवनगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)

वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत देवनगर में जन्म पंजीकरण बारे।

यह दरखास्त लियाकत अली पुत्र अली हुसैन, निवासी गांव नैहरी, डा0 देवनगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला हि0प्र0 ने इस कार्यालय में अपनी बेटी शिवाना की जन्म तिथि व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत देवनगर में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थी ने आवेदन किया है कि ज्ञान न होने

के कारण वह अपनी बेटी शिवाना की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत देवनगर में दर्ज न कर सकी। प्रार्थी की जन्म तिथि निम्न है.—

क्रम संख्या	प्रार्थी की बेटी का नाम	तारीख जन्म
1.	शिवाना पुत्री लियाकत अली, निवासी गांव नैहरी, डा0 देवनगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला हि0प्र0।	17-09-2017

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत देवनगर में प्रार्थी की बेटी शिवाना की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-03-2026 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(सुरेश कुमार नेगी)
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, (हि0प्र0)

वाद संख्या: 04/26

तारीख दायर : 11-02-2026

श्रीमती चन्द्र प्रभा पुत्री स्व0 श्री तकवीर सिंह, निवासी गांव खखरोला, डा0 नोगली हालाबाद, पत्नी श्री कुलदीप सिंह, निवासी गांव व डा0 दत्तनगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत शिंगला में जन्म पंजीकरण बारे।

यह दरखास्त श्रीमती चन्द्र प्रभा पुत्री स्व0 श्री तकवीर सिंह, निवासी गांव खखरोला, डा0 नोगली हालाबाद, पत्नी श्री कुलदीप सिंह, निवासी गांव व डा0 दत्तनगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला हि0प्र0 ने इस कार्यालय में अपनी जन्म तिथि व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत शिंगला में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि ज्ञान न होने के कारण वह अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत शिंगला में दर्ज न कर सकी। प्रार्थी की जन्म तिथि निम्न है.—

क्रम संख्या	प्रार्थिया का नाम	तारीख जन्म
1.	श्रीमती चन्द्र प्रभा पुत्री स्व0 श्री तकवीर सिंह, निवासी गांव खखरोला, डा0 नोगली हालाबाद, पत्नी श्री कुलदीप सिंह, निवासी गांव व डा0 दत्तनगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला हि0प्र0।	10-07-1969

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गानवी में प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-03-2026 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
(सुरेश कुमार नेगी)
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
